न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 186/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/323

प्रार्थी:– बरकत खां पुत्र सुलेमान खां निवासी 167, घांचीया का बास, बाड़सा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. भवंरदास पुत्र नारायणदास जाति साद निवासी बाड़सा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी राजेन्द्र नगर विस्तार पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत बाड़सा, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विरमाराम मीणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता सुश्री रेखा कुमारी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/01/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बारसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास पुत्र नारायणदास जाति साद के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम बारसा में अप्रार्थी संख्या 01 का पट्टासुदा भूखण्ड स्थित है, जिसके पडौस उत्तर दिशा में हनीफ खां मोयला, दक्षिण दिशा में मेहबूब खां पूर्व दिशा में गांवाई तालाब तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा आया हुआ है। उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये बैचाणनामा लिखत दिनांक 18.02.1986 को खुदाबक्श पुत्र सुलेमान खां कौम मोयला मुसलमान साकिन बाड़सा तहसील मारवाड़ जंक्शन को बेचाण कर दिया तप्पश्चात् खुदाबक्श ने लिखत दिनांक 29.10.2013 के द्वारा उक्त भुखण्ड का बेचाण प्रार्थी को कर दिया, तब से मौके पर प्रार्थी का कब्जा है एवं ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर निर्माण करवाया है। उक्त पट्टे पर विक्रय विलेख की दिनांक अंकित नहीं है और प्रस्ताव पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना नहीं करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, इसलिये उक्त निगरानी को स्वीकार फरमाते हुये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने बिना दिनांक का, बिना कोई प्रस्ताव लिये पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं

है इसलिये यदि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज किय जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बारसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत बारसा द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत अप्रार्थी भवरदास के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया था। हस्तगत पट्टे पर विलेख दिनांक, पंचायत, ग्राम तथा तहसील का नाम अंकित नहीं है साथ ही पट्टा किस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है, का भी अंकन नहीं है, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने बिना कोई प्रस्ताव लिये, बिना किसी आज्ञा की पालना में पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में अदिनांकित पट्टा जारी कर दिया, जो विधिविरूद्ध है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस यह स्वीकार किया कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने भी कथन किया कि जैर आराजी पर प्रार्थी ने निर्माण कार्य करवाया है। जैर निगरानी पट्टे के आवंटन की शर्त संख्या 8 में स्पष्ट अंकन है कि यदि आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर इस भूमि पर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनविार्य होगा अन्यथा भुखण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा तथा पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अप्रार्थी का जैर आराजी पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत बारसा के आदेश दिनांक 25.01.2021 के अनुसार भी जैर आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व है एवं वर्षों से उक्त भूखण्ड पर कब्जा है, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करती है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तत्समय अप्रार्थी भूमिहीन कृषक था एवं वह निःशुल्क भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखता हो। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1963 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बारसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास पुत्र नारायणदास जाति साद के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली